



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274816
CG-DL-E-25072026-274816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3920]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3920]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4090(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 16 किमी के NH19 तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के चार लेन का बनाने, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH19 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) आगरा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	फ़िरोज़ाबाद	हंडला	1 मदावली 2 हजरतपुर

		NH19 के कि.मी 5.8 से कि.मी 16.4 तक				3	चुल्हावली
						4	बाघई
						5	गढी जाफर
						6	सिरौलिया
						7	कुतुबपुर जरखी
						8	बनकट
						9	रुदऊ मुस्तकिल
						10	अनवारा
						11	नगला बलिया
						12	टीकरी
						13	बाघई
						14	टूण्डला खाम
2	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) आगरा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH19 के कि.मी 0 से कि.मी 5.8 तक	उत्तर प्रदेश	आगरा	एत्मादपुर	1	रहनखुर्द
						2	रहन कलान
						3	धरैरा
						4	सुरहरा
						5	सुरहरा एहत्माली
						6	नवलपुर

[फा. सं. 28031/TundlaBypass/01]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4090(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 16 of the NH19 for four-laning, maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH19 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	ADD. DISTRICT MAGISTRATE (LA) AGRA	NH19 KM 5.8 TO KM 16.4	UTTAR PRADESH	FIROZABAD	Tundla	1	Madawali
						2	Hazratpur
						3	Chuhlawali
						4	Baghai
						5	Garhizaffer
						6	Siraulia
						7	Kutubpur Jarkhi
						8	Bankat
						9	Rudau Mustaqil
						10	Anwara
						11	Nagla Balia
						12	Tikri
						13	Baghai
						14	Tundla Kham (CT)
2	ADD. DISTRICT MAGISTRATE (LA) AGRA	NH19 KM 0 TO KM 5.8	UTTAR PRADESH	AGRA	Etmadpur	1	Rahan Khurd
						2	Rahan Kalan
						3	Dharehera
						4	Surehera
						5	Surehra Ahatmali
						6	Navalpur

[F. No. 28031/TundlaBypass/01]

SHAIKH AMINKHAN, Director